

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

11

फर्द अहकाम

सु.नं० 72/14 तारीख रजु 5-12-14

उनवान - जंगदीश बनाम किरोड़ीकी
अजीजपुर
प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

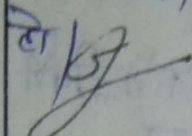
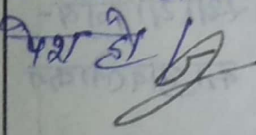
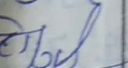
प्रार्थी की ओर से श्री विष्णु गुप्ता Adv. व
जबदराम Adv. ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषे-
धाज्ञा पेश किया। दस्तावेजों का अवलोकन
किया गया। प्रार्थी व कील की हक तरफा
बदस सुनी गई। प्रथम दुल्हिया मामला
प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः
अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द
किया जाता है कि आजाभी सुगवाई तिकि
तक ग्राम अजीजपुर की भूमि ख. नं० 628
629, 744, 745, 746, 0.23
0.19, 0.22, 0.24, 0.24, कुल कित 5 रकबा
1-12 है। हिस्सा 1/4 की मौके एवं रिकार्ड की
यथास्थिति बनोय रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज
रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मान
से तलब कर पत्रावली दि० 12-1-15 को वेश
हो।

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

3558-60
5/12/14

21/12 प्रार्थी वकील उप०। प्रार्थी की ओर से श्री
मदन मोहन शर्मा Adv. वकालतनामा पेश किया।
P.O. करौली प्रार्थी के पक्ष में पदोरे की भावना
दि० 23-2-15 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
20.3.15	वकुलाय उप०। जबाब पेश कले उत्तर-वादा। दिया गया। वास्ते जबाब दिनांक 20.3.15 को पेश हो। 
20.3.15	वकुलाय उपस्थित। जबाब पेश कले के लिए मुक मोका कोर-वादा दिए जाके काईना दिनांक 28.4.15 को पेश हो। 
28.4.15	वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी करौली मीटिंग में है। अतः पत्रावली गतनुसार दिनांक 26.5.15 को पेश हो। 
3.8.15	जनरल पेशी से पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। P.O. सा० चुनाव कार्य में व्यस्त है। गतनुसार वास्ते जबाब दिनांक 6.8.15 को पेश हो। 
6.8.15	पत्रावली पेश हुई। कादी वकील व कादी कोई उपस्थित नहीं। बार 2 अगज दिनाई जयी। इसके उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं। इसलिए पत्रावली अपन हाजरी अदम पेदवी में खारिज की जाती है। पत्रावली के सल-जुमार होकर नम्बर से कम कर दारिखल वफतर हो। 